

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 8/9, 2025

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र०सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	अलीगढ़	स्व0 श्री रोहित खण्डेवाल	सर्वश्री ए एण्ड आर इण्टरप्राइजेज, मथुरा	02-08-2025	श्री गजेन्द्र प्रसाद खण्डेवाल, पिता	10.00 लाख
2	गाजियाबाद	स्व0 श्री साजिद	सर्वश्री शान एन्टरप्राइजेज, बुलन्दशहर	31-07-2025	श्रीमती निशा बेगम, पत्नी	10.00 लाख
3	गोरखपुर	स्व0 श्री आमिर लारी	सर्वश्री बाम्बे प्लाई एण्ड हार्डवेयर, देवरिया	16-06-2025	श्रीमती सबा फिरदौस, पत्नी	10.00 लाख
4	गोरखपुर	स्व0 श्री पूर्णमासी चौहान	सर्वश्री वी0डी0ब्रदर्स, देवरिया	31-07-2025	श्रीमती झुनिया देवी, पत्नी	10.00 लाख
5	लखनऊ	स्व0 श्री संजय तिवारी	सर्वश्री शीतल रेडिमेड एण्ड अण्डर गारमेन्ट्स, सीतापुर	25-08-2025	श्रीमती माला तिवारी, पत्नी	10.00 लाख
6	वाराणसी	स्व0 श्री कपिल कुमार मौर्या	सर्वश्री देव हार्डवेयर एण्ड पेण्ट, जौनपुर	30-07-2025	श्रीमती रेशमी मौर्या, पत्नी	10.00 लाख
7	मेरठ	स्व0 श्री आशीष गोयल	सर्वश्री इयूस इंजीनियरिंग प्रा0लि0, मेरठ	12-08-2025	श्री कृष्ण कुमार गोयल, पिता	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, इटावा, वाराणसी जोन 1/2, अयोध्या, कानपुर जोन 1/2, बरेली को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, इटावा, आजमगढ़, अयोध्या सम्भाग-ए, कानपुर सम्भाग-बी, बरेली सम्भाग-बी को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

श्रीमती पूर्णमा

OC/CI.T
09-9-25
2025

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।